

I/506881/2024

संख्या-196/एक-10-2024-33(05)/2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ: दिनांक 28/02/2024

विषय:-सी0 आर0 ओ0 की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 5107/रा0 आ0 का0/सी0 आर0 ओ0 पत्रा0/2023-24 दिनांक 29 जनवरी, 2024 एवं पत्र संख्या- 5108/रा0 आ0 का0/राहतवाणी पत्रा0/2023-24, दिनांक 29 जनवरी, 2024 तथा पत्र संख्या- 5106/रा0 आ0 का0/सी0 आर0 ओ0 पत्रा0/2023-24, दिनांक 29 जनवरी, 2024 जिसके माध्यम से क्लाइमेट रिजिलिएन्स ऑब्जरवेटरी (सी0 आर0 ओ0) की स्थापना हेतु वीडियोवाल व कम्प्यूटर इंस्टालेशन के लिए रु0 95.00 लाख तथा क्लाइमेट रिजिलिएन्स ऑब्जरवेटरी (सी0 आर0 ओ0) की स्थापना में आवश्यक फर्नीशिंग, इंटीरियर कार्य एवं फर्नीचर पर व्यय हेतु रु0 48.00 लाख एवं क्लाइमेट रिजिलिएन्स ऑब्जरवेटरी (सी0 आर0 ओ0) में टेक्नीकल सपोर्ट एजेन्सी के व्यय हेतु रु0 3.50 करोड़ कुल धनराशि रु0 4.93 करोड़ की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सी0 आर0 ओ0 की स्थापना की योजना हेतु वीडियोवाल, कम्प्यूटर इंस्टालेशन, आवश्यक फर्नीशिंग, इंटीरियर कार्य एवं फर्नीचर एवं टेक्नीकल सपोर्ट एजेन्सी के व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से रु0 4,93,00,000/- (रुपये चार करोड़ तिरानवे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम एवं शर्तें-

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त द्वारा सम्बन्धित फर्म के माध्यम से नियमानुसार कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या- 33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 4,93,00,000/- (रूपये चार करोड़ तिरानवे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-00-101-05-00 स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम
केवल

Date: 28-02-2024 14:26:13

(सस केवल)
Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या-196/एक-10-2024, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. - महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र० प्रयागराज ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30 प्र० लखनऊ ।
3. विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30 प्र० शासन।
4. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, 30 प्र० शासन।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30 प्र० ।
6. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30 प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-29/02/2024

प्रेषण संख्या:- 196
आवंटन आदेश संख्या:- 001-196
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	49300000 1777926310	49300000 1777926310
	योग	वर्तमान प्रगामी	49300000 1777926310	49300000 1777926310

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ तिरानवे लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब सतहत्तर करोड़ उन्नासी लाख छब्बीस हजार तीन सौ दस

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन